



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60912

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3583 सन् 2026

श्रीमती विनीता शर्मा और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र तिवारी, श्याम किशोर त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेश प्रताप सिंह, सी.एस.सी

न्यायालय संख्या 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

1. श्री भूपेश प्रताप सिंह, बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को निर्देश भेज दिए हैं। इसे अभिलेख में ले लिया गया है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री भूपेश प्रताप सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

i. प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे सभी स्वीकार्य वेतन वृद्धि, बकाया वेतन/वेतन, वरिष्ठता और अन्य स्वीकार्य देय राशियों का भुगतान करें, जो कि दिनांक से लागू हैं समान रूप से कार्यरत सहायक शिक्षकों, अर्थात् सरिता रानी, रोहिताश सिंह, अब्दुल शाजिद, अरुण कुमार और नरेंद्र कुमार, जिनका चयन याचिकाकर्ताओं के साथ प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक के पद के लिए हुआ था और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिनका चयन दिनांक 27.07.2016 के विज्ञापन के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था, जैसा कि दिनांक 05.11.2016 के पत्र में उनके नाम के अनुसार हुआ था, और जिन्हें उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अर्थात् 01.07.2017 से पूरा वेतन दिया जा रहा है, विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और याचिकाकर्ताओं के साथ समान रूप से कार्यरत हैं, दिनांक 30.11.2018 को इस माननीय न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 19390/2017 (विनीता शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय के निष्ठापूर्वक और कड़ाई से अनुपालन में।

ii. न्याय के हित में, प्रत्यर्थागण को प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक के पद के लिए 1.07.2017 से याचिकाकर्ताओं को 20.07.2024 को कार्य करने की अनुमति देने की तिथि तक देय बकाया वेतन की गणना करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें बकाया पर 12% ब्याज और पदोन्नति आदि के सभी परिणामी लाभ शामिल हों।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने 'महिला सामान्य श्रेणी' के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, फिर भी जब उनके प्रकरण पर विचार नहीं किया गया, तो उन्होंने रिट-ए संख्या 19390/2017 दायर की, जिसका निर्णय दिनांक 30.11.2018 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रशिक्षणोत्तर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद यदि वे परीक्षा में सफल पाए जाते हैं तो परिणाम घोषित किए जाएंगे और उन्हें विधि के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 261/2020 (उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विनीता शर्मा और अन्य) दायर की गई थी, जिसे दिनांक 31.08.2022 के आदेश द्वारा खर्च सहित खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थागण ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 26741/2023 (उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विनीता शर्मा और अन्य) दायर की, जिसे दिनांक 21.08.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, राज्य ने पुनर्विचार याचिका (डायरी संख्या 45812/2023) दायर की, जिसे दिनांक 09.01.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 3821/2023 दायर होने के बाद, जब अवमानना न्यायालय ने प्रकरण का संज्ञान लिया, तो याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.07.2024 को नियुक्ति दी गई, हालांकि, उन्हें विभागीय वेतन वृद्धि, बकाया वेतन, वरिष्ठता और अन्य स्वीकार्य देय राशियाँ उस तिथि से नहीं दी जा रही हैं, जिस तिथि से सहायक शिक्षकों, अर्थात् सरिता रानी, रोहिताश सिंह, अरुण कुमार, नरेंद्र कुमार, अब्दुल शाजिद, जिन्हें प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ चयनित किया गया था और प्रशिक्षण प्राप्त किया था, को दी जा रही हैं। याचिकाकर्ता उपर्युक्त सहायक शिक्षकों के समान ही स्थिति में होने के कारण समान लाभ के हकदार हैं।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त शिकायत के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। यद्यपि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अतः इस प्रकरण पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया जाए और याचिकाकर्ताओं को देय सभी लाभ ब्याज सहित दिए जाएं।

7. निर्देशों के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, इसलिए उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ता नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा।

8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह रिट याचिका इस प्रावधान के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए, सलाह के अनुसार दस्तावेजों सहित, प्रत्यर्थी संख्या 3 - सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ नए व्यक्तिगत आवेदन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, यथाशीघ्र, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से, विधि के अनुसार, उन पर विचार करने और निर्णय लेने का हर संभव प्रयास करेगा।

24 मार्च, 2026

डीएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।